साप्ताहिक
केशरी दर्पण
RNI. No. UPHIN/2010/36806
www.kesharidarpan.com
सम्पादकः सुभाष चन्द
मो. 9837749557
सच्चाई सामने होगी
वर्षः15, अंकः 39
E-mail: subhashchand4@gmail.com
बागपत, सोमवार, 20 से 26 अदूबर 2025
(पृष्ठः4)
मूल्य 3 रुपया.

शख्सियत

सुप्रीम कोर्ट ने गरीब कैदियों की जमानत राशि में संशोधन किया

विशाल कश्यप/एजेंसी, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा गरीब विचाराधीन कैदियों की जमानत राशि के भुगतान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और न्यायमित्र सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया।

पीठ ने कहा कि यदि नए मानक संचालन प्रक्रिया के तहत किसी गरीब विचाराधीन कैदी के लिए जमानती रकम जमा करना संभव नहीं है तो डीएलएसए उसकी ओर से यह राशि भर सकेगी। अधिकतम एक लाख रुपये तक की रकम जमानत के रूप में दे सकेगी।

कोर्ट ने पिछले साल 13 फरवरी को जारी अपनी पूर्व मानक प्रक्रिया में कुछ संशोधन किए और आदेश दिया कि एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा जिसमें जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित व्यक्ति, डीएलएसए के सचिव, पुलिस अधीक्षक, संबंधित जेल के अधीक्षक/उपाधीक्षक और संबंधित जेल के प्रभारी जज शामिल होंगे।

डीएलएसए सचिव अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों के संयोजक होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि विचाराधीन कैदी को जमानत आदेश के सात दिनों के भीतर जेल से रिहा नहीं किया जाता है, तो जेल अधिकारी डीएलएसए सचिव को सूचित करें।

सूचना प्राप्त होने पर डीएलएसए सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि विचाराधीन कैदी के बचत खाते में धनराशि है या नहीं और यदि नहीं, तो पांच दिनों के भीतर डीएलएसए को इस बाबत अनुरोध भेजा जाएगा।

जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति, रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से पांच दिनों की अवधि के भीतर डीएलएसए की सिफारिश पर जमानत के लिए धनराशि जारी करने का निर्देश देगी।

डीएलईसी माह के पहले और तीसरे सोमवार को बैठक करेगी और डीएलएसए द्वारा सुझाए गए मामलों पर विचार करेगी। गरीब कैदियों को सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता का लाभ दिया जाएगा, वहां प्रत्येक कैदी के लिए 50,000 रुपये तक की अपेक्षित राशि जिला समिति के निर्णय के पांच दिनों के भीतर सावधि जमा या किसी अन्य निर्धारित तरीके से निकालकर कोर्ट को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जा सकता है।

चुनाव आयोग ने आर्थिक खुफिया समिति को फिर सक्रिय कर दिया

विशाल कश्यप/एजेंसी, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने छह वर्ष के अंतराल के बाद अपनी आर्थिक खुफिया समिति को फिर सक्रिय कर दिया है। इसका मकसद बिहार चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन, शराब और मादक पदार्थों के इस्तेमाल पर अंकुश लगाना है।

चुनावी खुफिया मामलों की बहु-विभागीय समिति की शुक्रवार को यहां 2019 के बाद पहली बार बैठक हुई। इस बैठक में बिहार में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धनबल और मुफ्त की रेवड़ियों के इस्तेमाल को रोकने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों और केंद्रीय पुलिस बलों की रणनीति को दुरुस्त किया गया।

विभिन्न एजेंसियों ने आयोग को अपनी तैयारियों, उठाए गए कदमों और प्रलोभन-मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित कदमों के बारे में जानकारी दी।

चुनाव आयोग ने बताया कि ये जानकारी चुनावों को दूषित करने के लिए धन और अन्य प्रलोभनों के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने से जुड़े कई विषयों पर थीं। आयोग के अधिकारियों ने निर्देश दिया कि प्रभावी कार्रवाई के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच आर्थिक अपराधों पर सहयोग और खुफिया जानकारी साझा की जानी चाहिए।

इस समिति का गठन 2014 में आम चुनावों से पहले किया गया था। समिति की बैठक 2014 और 2019 के चुनावों से पहले हुई थी, लेकिन उसके बाद कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई।

ईरान के पूर्व राजदूत ने विदाई नोट में कहा, भारत-ईरान स्वाभाविक साझेदार

अनुष्का कश्यप/एजेंसी, नई दिल्ली। ईरान के पूर्व राजदूत इराज इलाही ने भारत में अपने राजनयिक मिशन का समापन करते हुए एक भावनात्मक विदाई नोट में कहा कि भारत और ईरान स्वाभाविक साझेदार हैं। इलाही ने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि उनके कार्यकाल के दौरान चाबहार का संचालन शुरू हुआ, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि ईरान और भारत की स्वाभाविक संभावनाएं, सांस्कृतिक संबंध और साझा रणनीतिक स्वतंत्रता उन्हें स्वाभाविक साझेदार बनाती हैं। मुझे खुशी है कि इस कार्यकाल के दौरान, हमारे दो देशों के बीच चाबहार के रणनीतिक बंदरगाह में सहयोग सक्रिय हुआ-एक ऐसा द्वार जो जल्द ही ईरान के रेलवे नेटवर्क से जुड़ वैश्विक अर्थव्यवस्था की सेवा करेगा।

इलाही ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की सराहना की और ईरान के समय में भारत के समर्थन की प्रशंसा की। इसके बाद उन्होंने भारतीयों को ईरान आने और उनके सभ्यतागत संबंधों का अनुभव करने के लिए आमंत्रित किया।

केंद्र सरकार माओवाद मुक्त भारत की घोषणा कर सकती

अनुष्का कश्यप/एजेंसी, नई दिल्ली। माओवादियों के शीर्ष नेताओं समेत बड़ी संख्या में कैडर के समर्पण के बाद केंद्र सरकार 26 जनवरी 2026 को माओवाद मुक्त भारत की घोषणा कर सकती है। माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन लगी सुरक्षा एजेंसियां इसे संभव बनाने की कोशिश में जुट गई है। ध्यान देने की बात है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने माओवाद मुक्त भारत के लिए 31 मार्च 2026 की तारीख तय कर रखी है।

मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए अगले एक से दो महीने में बाकी बचे नक्सलियों के एनकाउंटर में मार गिराए जाने या फिर समर्पण की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में माओवाद मुक्त भारत के एलान के लिए 31 मार्च तक इंतजार की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तरी बस्तर और अबूझमाड़ के माओवाद मुक्त होने की घोषणा के बाद केवल तीन जिले इस समस्या से अत्यधिक प्रभावित बच गए हैं।

ये तीनों बीजापुर, नाराणपुर और सुकमा छत्तीसगढ़ के हैं। इसके अलावा अन्य चार जिले दंतेवाड़ा, गरियाबंद, कांकेर, मोहल्ला-मानपुर-अंबागढ़चौकी माओवाद से कम प्रभावित जिलों में हैं। छत्तीसगढ़ के बाहर सिर्फ चार जिले माओवादी हिंसा से प्रभावित बचे हैं। इनमें झारखंड का एक जिला पश्चिमी सिंहभूम, मध्यप्रदेश का एक जिला बालाघाट, महाराष्ट्र का एक जिला गढ़चिरौली और ओडिशा का एक जिला कंधमाल शामिल हैं।

जाहिर है अब सुरक्षा बलों को आने वाले महीने में इन्हीं जिलों में विशेष ध्यान केंद्रित करना है। इन जिलों में माओवादी गतिविधियों की खुफिया जानकारी जुटाने और उनके खिलाफ आपरेशन लांच करने पर काम शुरू हो गया है।

गलत ढंग से छूने के में यात्री गिरफ्तार

अनुष्का कश्यप/एजेंसी, नई दिल्ली। चेन्नई से हैदराबाद जा रही एक उड़ान में 38 वर्षीय महिला आइटी पेशेवर को गलत ढंग से छूने के आरोप में एक यात्री को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, यह घटना शुक्रवार को तब हुई, जब चेन्नई में काम करने वाला 45 वर्षीय एक व्यक्ति हैदराबाद होते हुए उत्तर प्रदेश जा रहा था। वह नशे में था।

महिला अपने पति के साथ बैठी थी। जबकि आरोपित यात्री विमान में उनके बगल में बैठा था। पुलिस के अनुसार, पति-पत्नी विमान में सो गए थे। जब विमान हैदराबाद हवाई अड्डे पर उतरने वाला था तो महिला को लगा कि कोई उसे अनुचित तरीके से छू रहा है।

तभी उसने उस व्यक्ति के हाथ को देखा और शोर मचा दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि विमान के हवाई अड्डे पर उतरने के बाद महिला ने हवाई अड्डा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस आधार पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपित को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। उसने दावा किया कि उसने महिला को गलती से छुआ था। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नए एमबीबीएस सीटों को मंजूरी दी

विशाल कश्यप/एजेंसी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2024 पर नए मेडिकल सीटों के निर्माण के वादे के अनुरूप राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए नए एमबीबीएस सीटों को मंजूरी दी है।

इससे 2024-25 के शैक्षणिक वर्ष के लिए कुल एमबीबीएस सीटों की संख्या 1,37,600 हो जाएगी। इसमें राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की सीटें भी शामिल हैं। यह वृद्धि भारत में चिकित्सा शिक्षा की उपलब्धता को बढ़ाने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। 41 नए मेडिकल कालेजों के जुड़ने से देश में चिकित्सा संस्थानों की कुल संख्या 816 हो गई है।

एनएमसी के प्रमुख डा. अभिजात शेट ने बताया, अंडरग्रेजुएट सीटों के विस्तार के लिए 170 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 41 सरकारी कालेजों से और 129 निजी संस्थानों से थे, जिनमें से कुल 10,650 एमबीबीएस सीटों को मंजूरी दी गई है।

पोस्टग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए एनएमसी को नए और नवीनीकरण सीटों के लिए 3,500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। डा. शेट ने कहा कि आयोग को लगभग पांच हजार पीजी सीटों की वृद्धि की उम्मीद है, जिससे देशभर में कुल पीजी सीटों की संख्या 67 हजार हो जाएगी।

यूजी और पीजी दोनों सीटों में कुल वृद्धि लगभग 15 हजार होने की संभावना है। अंतिम मंजूरी प्रक्रिया-काउंसलिंग में कुछ देरी हुई है। अधिकारियों ने आश्वासन है कि ये प्रक्रियाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जाएंगी। आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए मान्यता, परीक्षाओं और सीट मैट्रिक्स अनुमोदनों के कार्यक्रम का एक खाका जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा।

बच्चो की जान लेने वाले कफ सीरप मामले की जांच

विशाल कश्यप/एजेंसी, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में 24 बच्चो की जान लेने वाले कोल्ड्रिफ कफ सीरप मामले की जांच में रोज नए पर्दाफाश हो रहे हैं। जांच में यह सामने आया कि कोल्ड्रिफ बनाने वाली कांचीपुरम की श्रीसन फार्मा कंपनी का मालिक रंगनाथन स्वयं प्रोडक्शन केमिस्ट की जिम्मेदारी संभालता था।

दवा के हर बैच की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी रंगनाथन और केमिकल एनालिस्ट के. माहेश्वरी पर थी। इसके बावजूद, कोल्ड्रिफ में 48.6 प्रतिशत डायथिलीन ग्लाइकाल पाया गया। रंगनाथन ने कोर्ट और पुलिस पूछताछ में कहा है कि उसने काम बांट रखा था, इसलिए गड़बड़ी का पता नहीं चला।

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अनुसार, ड्रग लाइसेंस प्रोडक्शन केमिस्ट और केमिकल एनालिस्ट के नाम पर ही मिलता है, जिससे रंगनाथन की जिम्मेदारी स्पष्ट होती है। जांच में श्रीसन फार्मा में कई गंभीर खामियां भी सामने आई हैं। परिसर में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। क्या जानबूझकर गड़बड़ी की गई?

कच्चे माल की खरीद के लिए दिए गए आर्डर और आपूर्ति के बिल भी उपलब्ध नहीं हैं। सभी जानकारी साधारण रजिस्टर में दर्ज की जाती थी, जिससे एसआइटी के लिए गड़बड़ी का पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। रंगनाथन ने एसआइटी को बताया कि उसने मेडिसिन ग्रेड का प्रोपेलीन ग्लाइकाल खरीदा था, लेकिन इस संबंध में कोई क्रय आदेश प्रस्तुत नहीं कर सका। एसआइटी ने किसी कर्मचारी द्वारा विषाक्त पदार्थ मिलाने की आशंका के एंगिल से भी जांच शुरू की है।

ठेकेदारों की मनमानी व एक ठेकेदार को करोड़ों रुपये के 18 विकास कार्यों के टेंडर देने का मामला उठा

नितिन कुमार सिंह, बागपत। विकसित उप्र सुझाव लेने के लिए जिला पंचायत बोर्ड बैठक में सदस्यों ने प्रदेश के विकास पर विचार रखे। ठेकेदारों की मनमानी व एक ठेकेदार को करोड़ों रुपये के 18 विकास कार्यों के टेंडर देने का मामला उठा।

शनिवार दोपहर जिला पंचायत सभागार में अध्यक्ष ममता किशोर की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक हुई। अपर मुख्य अधिकारी जितेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के आठ वर्ष के विकास कार्यों को पेश किया। सभी सदस्य ग्रामीणों से संपर्क कर विकसित उप्र के लिए विकास पर महती भूमिका निभाने की अपील की।

महिला जिला पंचायत सदस्य कम थीं मगर उनके स्वजन थे। राजेंद्र सिंह, महबूब अलवी, फखरुद्दीन अहमद, बसंत तोमर, जयकुमार, सुनील आदि ने कहा कि जिला पंचायत सदस्यों को विधायक एवं सांसद की तर्ज पर विकास कराने को निधि तथा मानदेय देने का काम करें।

किसानों के विकास पर फोकस रहना चाहिए। इसके बाद उन्होंने जिला पंचायत के विकास कार्यों पर दुखड़ा रोया। उन्होंने कहा कि समय पर काम नहीं करने वाले ठेकेदारों के टेंडर निरस्त कर अच्छे ठेकेदार को काम दें। महबूब अलवी बोले, ठेकेदार ने उनकी विकास संबंधी बात सुनने के बजाय फोन पर आपत्तिजनक लहजे में बात की। सदस्यों ने कहा कि ठेकेदार बेलगाम हैं। गांवों में जिला पंचायत द्वारा लगवाई लाइटें नहीं जली और अधिकांश लगी ही नहीं हैं।

आरओ वाटर कूलर नहीं लगे। बसंत तोमर ने कहा कि एक ठेकेदार को 17-18 काम देना गलत है। मवीकलां में ईपीई, दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे, दिल्ली-सहारनपुर ग्रीनफील्ड हाइवे इंटरचेंज पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. चौ. चरण सिंह, टटीरी में दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाइवे तथा ग्रीनफील्ड हाइवे जहां मिलते हैं, वहां स्वतंत्रता सेनानी धन सिंह कोतवाली तथा इसी हाईवे पर बड़ौत क्षेत्र में 1857 की क्रांति के नायक बाबा शाहमल की प्रतिमा लगवाने का प्रस्ताव रखा। इस पर सभी ने

संघ का पथ संचलन नहीं हो सका

अनुष्का कश्यप/एजेंसी, नई दिल्ली। रविवार को कर्नाटक में संघ का पथ संचलन नहीं हो सका। मंत्री प्रियांक खड़गे के गृह निर्वाचन क्षेत्र चित्तपुर में अधिकारियों ने शांति और कानून-व्यवस्था भंग होने की आशंका जताते हुए पथ संचलन की अनुमति नहीं दी। इसके खिलाफ संघ ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन फिर भी उन्हें रविवार को पथ संचलन आयोजित करने में सफलता नहीं मिली।

संघ की ओर से अशोक पाटिल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए हाई कोर्ट की एक विशेष पीठ का गठन किया गया। न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या किसी अन्य तिथि या समय पर पथ संचलन आयोजित करना संभव होगा, इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि दो नवंबर उपयुक्त होगा।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने संघ के प्रतिनिधियों से दो नवंबर को कलबुर्गी के चित्तपुर में पथ संचलन आयोजित करने की अनुमति के लिए नया आवेदन दायर करने कहा। न्यायमूर्ति ने कहा कि याचिकाकर्ता को रूट, स्थान और समय के विवरण और पहले उठाए गए प्रश्नों के उत्तरों के साथ नया आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

यह आवेदन कलबुर्गी जिले के उपायुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी एक प्रति तालुका कार्यकारी मजिस्ट्रेट और पुलिस को भी दी जाएगी। न्यायालय ने अधिकारियों से आवेदन पर विचार करने और 24 अक्टूबर को न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा है। याचिका में गुण-दोष के आधार पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है और रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस पर विचार किया जाएगा।

जनता की शिकायतों को अधिकारी गंभीरता से ले शिकायकर्ताओं से बात कर संतुष्टि का फीडबैक ले

नितिन कुमार सिंह, 18.10, बागपत। शासन की मंशा के अनुरूप जन शिकायतों के निस्तारण को प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से शनिवार को जनपद की सभी तहसीलों बागपत, बड़ौत और खेकड़ा में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी अस्मिता लाल एवं पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने बड़ौत तहसील में आयोजित समाधान दिवस में पहुंचकर आम जनता की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण, संवेदनशील एवं समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।

तहसील संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान बड़ौत तहसील में 16 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें मौके पर 04का निस्तारण, बागपत तहसील में 19 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें मौके पर 04 का निस्तारण, खेकड़ा तहसील में 12 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें मौके पर 03 का निस्तारण हुआ।

जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने कहा कि शासन की यह प्राथमिकता है कि जनता की शिकायतें लंबित न रहें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण स्थलीय निरीक्षण कर किया जाए, ताकि शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिल सके। शिकायतकर्ताओं से स्वयं बात कर संतुष्टि का फीडबैक प्राप्त करे। सीएम डैशबोर्ड प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। तहसील परिसर में विभिन्न विभागों द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल और शिविर लगाए गए।

जिलाधिकारी ने मौके पर ही दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र तथा 04 वरिष्ठ नागरिकों और 02 पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड प्रदान किए। कृषि विभाग की ओर से किसानों को सरसों की बीज कीट वितरित की गईं। जिलाधिकारी ने लाभार्थियों से संवाद करते हुए योजनाओं से लाभ की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को जनहित योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

तहसील संपूर्ण समाधान दिवस जनता और प्रशासन के बीच भरोसे का सेतु है। प्राप्त शिकायतों का निस्तारण अधिकारी स्वयं मॉनिटर करें। सुनिश्चित करें कि समाधान का परिणाम शिकायतकर्ता तक वास्तविक रूप से पहुंचे।

कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी बड़ौत भावना सिंह, तहसीलदार बड़ौत श्वेताभ सिंह, खंड विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार सहित अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।

कोशिश करो तैयार रहो सेवा करो

श्रीराम बाजपेयी स्काउट-गाइड एसोसिएशन

पंजीकरण संख्या- S/703/2014-दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 2014, संपूर्ण भारतवर्ष

वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्काउट्स-गाइड्स जर्मनी से भी संबंध

प्रधान कार्यालयः निर्भय एनक्लेव, खेकड़ा (बागपत) उ.प्र. पिन-250101

Email:- subhashchand4@gmail.com, Mob- 09837749557- 0931242244

संपूर्ण भारतवर्ष में श्रीराम बाजपेयी स्काउट-गाइड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के माध्यम से, स्काउट-गाइड प्रशिक्षण कैंप, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, सिलाई सेंटर हेतु संपर्क करें। स्काउट गाइड संस्थाओं NCC, NSS से जुड़े भाई-बहनो जुड़ने को प्राथमिकता।

(सुभाष चंद कश्यप, राष्ट्रीय महासचिव, श्रीराम बाजपेयी स्काउट गाइड एसोसिएशन)

अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी

दीपावली

श्री लव कश्यप
जिलाध्यक्ष जनपद-बागपत

गोवर्धन एवं भैया दूज

की

हार्दिक शुभकामनायें

संभावित प्रत्याशी

बागपत लोकसभा 2029

रूबी कश्यप

जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी जनपद बागपत

पूर्व सांसद प्रत्याशी बागपत लोकसभा 2019 व 2024

सम्पादकीय.....

सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन लंबित पर चिंता जता, खतरनाक और निराशाजनक बताया

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों में 8,82,578 एक्जीक्यूशन पिटीशन लंबित होने पर चिंता जताते हुए स्थिति को खतरनाक और बेहद निराशाजनक बताया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि डिक्री पारित होने के बाद यदि उसे लागू कराने में वर्षों लगेंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है, और ये न्याय का उपहास होगा।

सर्वोच्च कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों से कहा है कि वे ऐसी प्रक्रिया विकसित करें और लंबित एक्जीक्यूशन याचिकाओं के प्रभावी और शीघ्र निपटारे के लिए जिला न्यायपालिका का मार्गदर्शन करें। इस बात पर नाराजगी जता उसके आदेश के बावजूद इतनी एक्जीक्यूशन याचिकाएं अभी लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लंबित एक्जीक्यूशन याचिकाओं को निबटाने के लिए छह महीने का और समय देते हुए उच्च न्यायालयों को इस संबंध में 10 अप्रैल तक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

ये आदेश न्यायमूर्ति जेबी पार्डीवाला और पंकज मित्तल की पीठ ने एक्जीक्यूशन याचिकाओं के लंबित मामले में सुनवाई के दौरान गत 16 अक्टूबर को दिये। पिछली बार छह मार्च 2025 को पेरियाम्मल बनाम वी. राजामणि मामले में दिए फैसले में देश भर में लंबित एक्जीक्यूशन याचिकाओं को छह महीने में निबटाने का आदेश दिया था। तब कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया था कि वे जिला न्यायपालिकाओं से लंबित निष्पादन याचिकाओं के बारे में जरूरी जानकारी मांगे।

उच्च न्यायालय डेटा एकत्र करने के बाद प्रशासनिक आदेश जारी करेगा जिसमें संबंधित जिला न्यायपालिका को लंबित निष्पादन याचिकाओं का छह महीने में निर्णय, निपटारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाएगा। ऐसा नहीं होने पर संबंधित जज उच्च न्यायालय के प्रति जवाबदेह होगा। उच्च न्यायालय लंबित मामलों और उनके निबटान के आंकड़ो सहित संपूर्ण एकत्रित डेटा, एक रिपोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे।

उस आदेश पर आए आंकड़ों से पता चला है कि देश भर में 8.8 लाख से ज्यादा एक्जीक्यूशन याचिकाएं लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट के छह मार्च के आदेश के बाद देश भर की अदालतों ने 3,38,685 एक्जीक्यूशन याचिकाएं निबटाई हैं। इस समय देश भर में 8.8 लाख से ज्यादा एक्जीक्यूशन याचिकाएं लंबित हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने ब्योरा नहीं भेजा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से इस पर दो सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा है।

मध्य प्रदेश में रेलवे के खानपान वेंडरों की मनमानी

विशाल कश्यप/एजेंसी, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में रेलवे के खानपान वेंडरों की मनमानी के दो वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से फैल रहे हैं। पहले वीडियो में जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर समोसा बेचने वाले वेंडर संदीप कुमार ने यूपीआई भुगतान नहीं होने पर एक यात्री की कॉलर पकड़ ली और घड़ी छीन ली।

दूसरे मामले में सतना रेलवे स्टेशन पर पेंट्रीकार का एक वेंडर उपयोग किए गए डिस्पोजेबल फूड बॉक्स को धोकर पुनः उपयोग के लिए तैयार कर रहा था। जबलपुर की घटना में यात्री ने संदीप से समोसे खरीदे और यूपीआई से भुगतान किया, लेकिन तकनीकी कारणों से पैसे ट्रांसफर नहीं हुए।

ट्रेन खुलता देख यात्री उसे पकड़ने के लिए दौड़ा तो वेंडर ने रोक लिया और घड़ी छीन ली। इस घटना का वीडियो रेल मंत्रालय को भेजा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआरएम कमल कुमार तलरेजा के निर्देश पर आरपीएफ ने वेंडर को गिरफ्तार कर लिया और उसका लाइसेंस रद कर दिया।

दूसरे वीडियो में इरोड-जोगबनी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पेंट्रीकार में एक कर्मचारी डिस्पोजेबल फूड बॉक्स धोकर पुनः उपयोग के लिए तैयार कर रहा था। इस पर आपत्ति जताने पर कर्मचारी ने इसे रोजमर्रा की प्रक्रिया बताया। वीडियो रेल मंत्रालय और आईआरसीटीसी को भेजा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

केशरी दर्पण समाचार पत्र के ऑनलाइन पत्रकार बने।
www.kesharidarpan.com
पर रजिस्टर/लॉगिन करे।
KD www.kesharidarpan.com
सम्पादक सुभाष चंद
9837749557

नोटः पत्र में छपे लेख, लेखकों के निजी विचार है, सम्पादक का इन लेखकों के विचारों से सहमत होना अनिवार्य नहीं है। किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र बागपत होगा।

RNI. No. UPHIN/2010/36806, मालिक, मुद्रक, प्रकाशक सुभाष चन्द ने इण्डियन प्रेस, राजेन्द्र नगर, मेरठ से छपवाकर कार्यालय ग्राम वाजिदपुर, पोस्ट तहसील बडौत, जिला बागपत से प्रकाशित किया। सम्पादकः सुभाष चन्द, मो. 9837749557, प्रबन्धक सम्पादकः डा. प्रवीण कुमार, (किसी भी वि वाद के लिए बागपत न्यायालय मान्य)